

केन्द्रीय प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ- 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600 फ़ैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./01/खण्डVI/

दिनांक 08.08.2013

सेवामें,

संलग्नक के अनुसार

कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ द्वारा प्रयोगशाला हेतु निम्नानुसार डिस्पेंसर एवं डिजीटल ब्यूरेट क़य करने हेतु लिमिटेड कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं-

Specifications for Liquid Handling Systems

S. No.	Name of Item	Technical Specification	Qty.
1	Bottle Top Digital Burette	<ul style="list-style-type: none">Dispensing range 0.01-999.9 mLAdjustable discharge tubeLong life batteryShould be able to perform precise titrations within the error limits of Class A glass burettesContinuous pulse free dispensingVertical and horizontal adjustable filling tube.Recirculation valve for priming without loss of reagentTelescopic filling tube for automatically setting the length.Removable electronic unit. The burette should be autoclavable without electronic unit.Should be equipped with Low Battery indicator.Should be highly resistant to chemicalsBurette should be able to rotate full 360° on bottleTo be supplied with bottle adapters	01 No.
2	Bottle Top Dispenser	<p>i) Volume range 0.5-05 mL</p> <p>ii) Volume range 01-10 mL</p> <ul style="list-style-type: none">Highly resistant to chemicalsDispensing steps minimum 0.1 mLTelescopic filling tube for use with most bottlesRapid volume setting using precise graduation scales.Autoclavable at 121 °C fully assembledTo be supplied with bottle adapters	03 Nos. 01 No.

इस संबंध में **नियम व शर्तें** निम्नानुसार हैं-

01. कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 09.09.2013 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए।
02. कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहर बंद करें तथा कोटेशन क्रमांक जेड.ओ. एल./प्रशासन/01/खण्ड- VI/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. कोटेशन पर सुधार या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. दिए गए दर पैकिंग लोडिंग तथा अनलोडिंग इत्यादि को शामिल कर के होना चाहिए। विक्रय कर या व्यापार कर यदि लागू हो तो उस की दर अलग से दी जाए। कृपया रजिस्ट्रेशन नं. यू.पी.एस.टी./सी.एस.टी. नं. से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख साथ लगाएं।
07. कोटेशन के साथ रु. 5000/- (पाँच हजार) डी.डी. के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। कोटेशन के **असफल** होने की स्थिति में यह राशि दो माह के भीतर वापस कर दी जायेगी।

08. कोटेशन में उपकरणों के संबंध में दिये गये विवरण के पक्ष में उपकरण से संबंधित विवरणिका (Brochure) अवश्य संलग्न करें।
09. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट : कृपया अपनी कोटेशन को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा कोटेशन को निरस्त किया जा सकता है।

(गोविन्द भगत)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी, आई टी डिवीजन, मुख्यालय, दिल्ली-कृपयाबोर्ड की वेबसाइटपरअपलोडकरनेहेतु
2. प्रभारी, प्रयोगशाला, ऑ. कार्या. लखनऊ
3. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ

अनुभाग अधिकारी